न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 225 / 19 / टोंक (2019 / 00225)

विभागीय अपील द्वारा श्री रामफूल वर्मा तत्कालीन पटवारी तहसील टोडारायसिंह हाल निलंबित पटवारी तहसील उनियारा जिला टोंक विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर टोंक के आदेश क्रमांक भू.अ.6 / एफ.2(1)विजा. दिनांक 26–8–2016 जिसके द्वारा अपचारी कार्मिक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामफूल वर्मा तत्कालीन पटवारी तहसील टोडारायसिंह हाल सेवा निवृत पटवारी ग्राम नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक।

निर्णय

दिनांकः– 30.03.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 26–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम 16.8.2011 को ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किये गये। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

पटवार मण्डल रसूलपुरा तहसील उनियारा पर पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 28–7–2011 को पंचायत समिति अलीगढ़ में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में महिला पटवारी सुश्री दिनमणी [illegible]ारी पटवार मण्डल काकोड़ द्वारा आपको नमस्कार किये ज[illegible] सिंह को आलिंगन करने की कोशिश की गई एवं शराब के नशे में सुश्री [illegible] से अभद्रता व [illegible] हरकत की गई। आपने मीटिंग हॉल के बाहर सु[illegible] सिंह को देखकर गा[illegible]या, इस व्यवहार से सुश्री सिंह गहरे तनाव की स्थिति में है। कार्यस्थल पर शराब पीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:02 IST
Reason: SelfAttested

आने एवं महिला सहकर्मी के साथ अभद्रता एवं अशोभनीय व्यवहार करने का कृत्य किया गया है जो आचरण नियमों के विरूद्ध है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार, टोडारायसिंह को पैरोकार नियुक्त किया गया। अपचारी कर्मचारी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर किसी भी आरोपों का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा श्री रामफूल वर्मा पटवारी पर आरोपित आरोप प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बयानात के आधार पर प्रमाणित होना पाये गये है। उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने अपने पत्र क्रमांक 2929 दिनांक 17–10–2015 द्वारा जिला कलक्टर, टोंक को अन्तर्गत धारा 16 सीसीए के तहत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने पटवारी हलका पर लगाये गये आरोपों को आंशिक रूप से दोषारोपित माना है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर, टोंक ने आदेश पारित कर अपीलांट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दिनांक 26–8–2016 के द्वारा अपचारी कार्मिक को सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी कर्मचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 26–8–2016 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा निर्णय दिनांक 26–8–2016 में साक्ष्यों को ठीक प्रकार से समायोजित नहीं किया गया क्योंकि उक्त घटना बहुउद्देशिय शिविर की है जहां पर पूरे तहसील के पटवारी उपस्थित थे किसी ने भी घटना की ताहिद नहीं की सभी ने बयानों में अपने सामने अभद्रता होने का जिक्र नहीं किया है। जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह की रिपोर्ट में अपीलार्थी को आंशिक रूप से दोषी माना है फिर भी जिला कलक्टर, टोंक द्वारा सेवा से पृथक करने का आदेश पारित कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:11:02 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर टोंक का आदेश केवल उपधारणा पर आधारित है क्योकि जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में यह माना है कि सुश्री दिनमणी पटवारी को अपीलार्थी ने कुछ कहा जरूर था क्योंकि कोई भी महिला अपने आवेदन में ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। अतः यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल उपधारणा के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। शिकायतकर्ता व अन्य गवाह जांच अधिकारी के समक्ष जुर्म साबित करने में असफल रहे है। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी पर झूठा आरोप लगाया है कि वह शराब के नशे में था जबकि अपीलार्थी कभी भी शराब का सेवन नहीं करता और ना ही कभी 37 वर्ष की सेवा में अपीलार्थी के विरूद्ध इस बाबत कोई शिकायत ही दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष बयानों के लिए उपस्थित नहीं हुई। जांच अधिकारी द्वारा उसके शिकायत पत्र को ही बयान माना गया है और इसी आधार पर पारित आदेश निरस्त योग्य है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा उपशासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर से सेवा से पृथक के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था जिसके प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 25–9–2017 को मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि कार्मिक सेवा में नहीं है तो बर्खास्त के दण्ड से दण्डित नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, टोंक से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया गया कि अपीलांट कार्य से स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहने तथा कार्यस्थल पर शराब का सेवन कर आने का आदी रहा है। गवाहों द्वारा बयान में कार्यस्थल एवं बहुउद्देशिय शिविर में भी शराब पीकर आना अंकित किया है शिकायत सही होने के आधार पर अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जाकर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच अधिकारी द्वारा दौरान जांच युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी को दिया गया दण्डादेश नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है जो उचित है। इस कार्यालय के पत्रांक एफ (टोडा)/विजा/15/2989 दिनांक 7–6–2017 द्वारा उपशासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर को पत्र लिखा जाकर सेवा से पृथक के दण्ड से दण्डित किये जाने संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था, जिसके संबंध में संयुक्त शासन सचिव उपशासन सरकार राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 1(49)राज–1/20 जयपुर दिनांक 25–9–2017 से मार्गदर्शन भिजवाया गया है कि "प्रकरण में कार्मिक विभाग से प्राप्त राय अनुसार कार्मिक सेवा में नहीं है तो बर्खास्त का दण्ड नहीं दिया जा सकता।" जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:02 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 26—8—2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपचारी कार्मिक को उपखण्ड अधिकारी, उनियारा की जांच रिपोर्ट के आधार पर सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, उनियारा ने अपचारी कार्मिक को जांच रिपोर्ट में आंशिक रूप से दोषी माना है। जांच अधिकारी की पत्रावली में संलग्न बयानों में किसी के द्वारा भी यह इंगित नहीं किया है कि अपचारी कार्मिक के द्वारा शिकायतकर्ता सुश्री दिनमणी सिंह पटवारी पटवार मण्डल काकोड से कोई अश्लील हरकत या अभद्रता की है। साथ ही आरोप में यह भी उल्लेखित है कि अपचारी कार्मिक नशे में था। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों में अपचारी कार्मिक के नशे में होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं है तथा तत्समय अपचारी कार्मिक का कोई मेडिकल करवाया गया हो वह भी संलग्न नहीं है। मेडिकल के अभाव में यह साबित नहीं हो सकता है कि अपचारी कार्मिक नशे में था।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि केवल कयास/उपधारणाओं के आधार पर किसी कार्मिक को दण्ड नहीं दिया जा सकता है। अपचारी कार्मिक ने स्वयं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि उसने अपने जीवनकाल में कभी भी शराब का सेवन नहीं किया है न ही शराब पीकर कार्यस्थल पर उपस्थित रहने के संबंध में कभी कोई शिकायत ही हुई है। उक्त घटना बहुउद्देशिय शिविर की है जहां पर पूरे तहसील के पटवारी उपस्थित रहते है तथा ग्रामवासी भी भी शिविर में मौजूद रहते है किसी ने भी घटना की ताहिद नहीं की सभी ने बयानों में अपने सामने अभद्रता किये जाने का जिक्र नहीं किया है। जांच अधिकारी ने केवल राजस्व कार्मिकों के ही बयान लेकर जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी उनको तत्समय उपस्थित ग्रामवासियान के भी बयान लेने चाहिए थे, बिना ठोस सबूत व साक्ष्य के अभाव में अपचारी ने सुश्री सिंह को आलिंगन करने की कोशिश की गई एवं शराब के नशे में सुश्री सिंह से अभद्रता व अश्लील हरकत की गई हो सिद्ध नहीं माना जा सकता। जांच अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, उनियारा ने जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी को आंशिक रूप से दोषी मा[illegible] भी जिला कलक्टर टोंक द्वारा सेवा से पृथक करने का आदेश पारित किया [illegible] विधिसम्मत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:02 IST
Reason: SelfAttested

यह यह भी उल्लेखनीय है कि जब अपचारी कर्मचारी को जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 16—5—2016 को अनिवार्य सेवा निवृति दे दी थी तो सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

जिला कलक्टर टोंक ने राजस्व विभाग जयपुर से अपने पत्र क्रमांक 2989 दिनांक 7–6–2016 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 1–6–2016 से विभागीय जांच में सानुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृति (Compulsory Retirement on Proportionate pension)देने के उपरान्त अन्य विभागीय जांच में सेवा से पृथक (Termination) के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है अथवा नहीं ? कार्मिक को पेंशन का भुगतान किया जावेगा अथवा नहीं ? के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। उक्त संबंध में संयुक्त शासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 10(19)राज–1/2017 जयपुर दिनांक 25–9–2017 में जिला कलक्टर, टोंक को मार्गदर्शन दिया है कि यदि कार्मिक सेवा में नहीं है तो बर्खास्त का दण्ड नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 26–8–2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक दिनांक 26–8–2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:02 IST
Reason: SelfAttested